रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED—No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 1986/अग्रहायण 5, 1908
No. 548] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 26, 1986/AGRAHAYANA 5, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1986

सं. 469/86-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 1226 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की

अधिसूचना सं. 179-सामाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1986 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं. 2, 5, 9, 13, 14, 16, 17 और 22 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"2. ग्राइसोब्यूटिलग्रापिओनलडिहाइड";

"5. 4—कलोरो-2-एमिनोडाइफेनोलेमाइन";

"9. 2—ग्रमोनोडिएजाइन" ;

"13. 3,4—डाइमेथाक्सीफेनिलएसीटोनोट्राइल" ;

"14. 3,5—डाइमेंजोलाक्सीऐसिटोफैनान" ;

"16. डाइनाइट्रो-2-फ्यूरल डिहाइड डाइएसीटेट";

"17. 3-एमोनो-2-ओक्साजोलोडाइन" ;

"22. इमिनोडाइबेंजिल डाइबेंजो (बी,एफ) ऐसोपाइन"।

[फा. सं. 346/75/86-टीआरयू]
बी. श्रीधर, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 1986

NO. 469|86-CUSTOMS

G.S.R. 1226(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 179-Customs, dated the 1st March, 1986, namely :—

In the Table annexed to the said Notification, for Sl. Nos. 2, 5, 9, 13,14,16, 17 and 22 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall, respectively, be substituted, namely :—

"2. Isobutylpropionaldehyde";

"5. 4-chloro-2-aminodiphonylamine";

"9. 2-Aminodiazine";

"13. 3,4-dimethoxyphenylacetonitrile";

"14. 3,5-dibenzyloxyacetophenone";

"16. Dinitro-2-furaldehyde diacetate";

"17. 3-amino-2 Oxazolidine";

"22. Iminodivenzyl dibenzo (b, f) asepine".

[F. No. 346|75|86-TRU]

V. SRIDHAR, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986